INDIA NON JUDICIAL

१००० रु. — Rs 1000

एक हजार रुपये — ONE THOUSAND RUPEES

९८२

[illegible printed notice]

शुल्क ६२२-२५
... १३-२०
सामग्री २-५०
... ०-२६

१४-२-८६

९८२ / २६

Sri Hari Prasad Sukla

१) विक्रेता श्री हरिप्रसाद शुक्ला, पिता स्वर्गीय भारतेन्दु शुक्ला, जाति ब्राह्मण, निवास स्थान ग्राम ... थाना ... पोस्ट ..., ... (Barbil) ... एवं ... Sri ... ... पेशा ...

मैं हरि प्रसाद शुक्ला ... बकरार के मुताबिक २.५० एकड़ ... रुपया ५७,... ... पाया ... मैं हरि प्रसाद ... ने ... किया ... १४-२-८६

ओम प्रकाश शुक्ला पुत्र श्री हरि प्रसाद शुक्ला ने सामने विक्रय पत्र पढ़ कर सुनाया गया ता. १४-२-८६

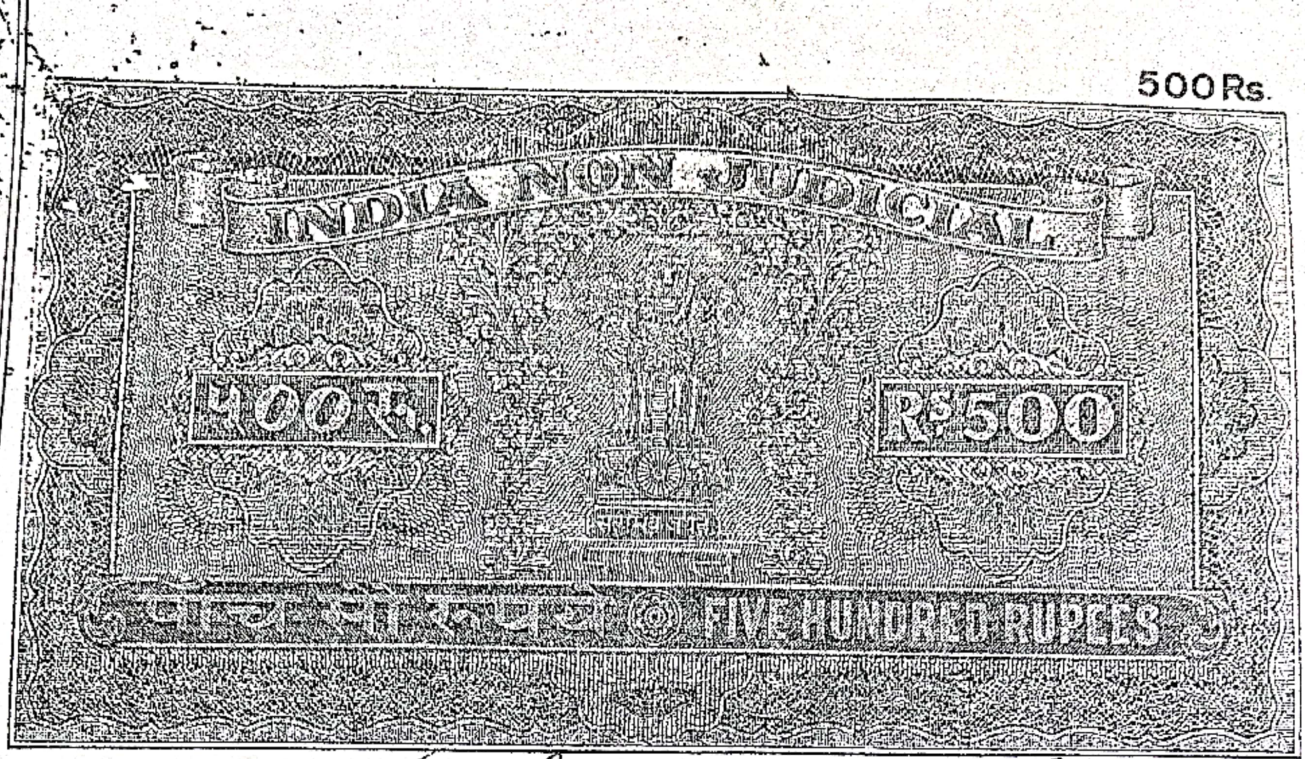

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५००रु. | Rs500

सत्यमेव जयते

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

2

१) क्रेता का नाम एवं पता - (Sri Someshwar Prasad-) श्री सोमेश्वर प्रसाद, पिता स्वर्गीय श्री शिव देनी साहु, जाति वैश्य, निवास स्थान एवं पता लय व थाना शहर डाल्टेनगंज (Daltonganj) मोहल्ला - ओलखाना, पुराना वो जिला पलामू, व्यवसाय व्यवसायी / ~~नौकरी~~ ~~नौकर शाही~~ -

३) लेख्य प्रकार - विक्रय पत्र (Sale deed)

४) प्रतिफल मुल्य - प्रतिफल - 37,000/- (सैंतीस) हजार रुपये मात्र / Rupees - 37000/- Thirty Seven thousand only

14/2/86

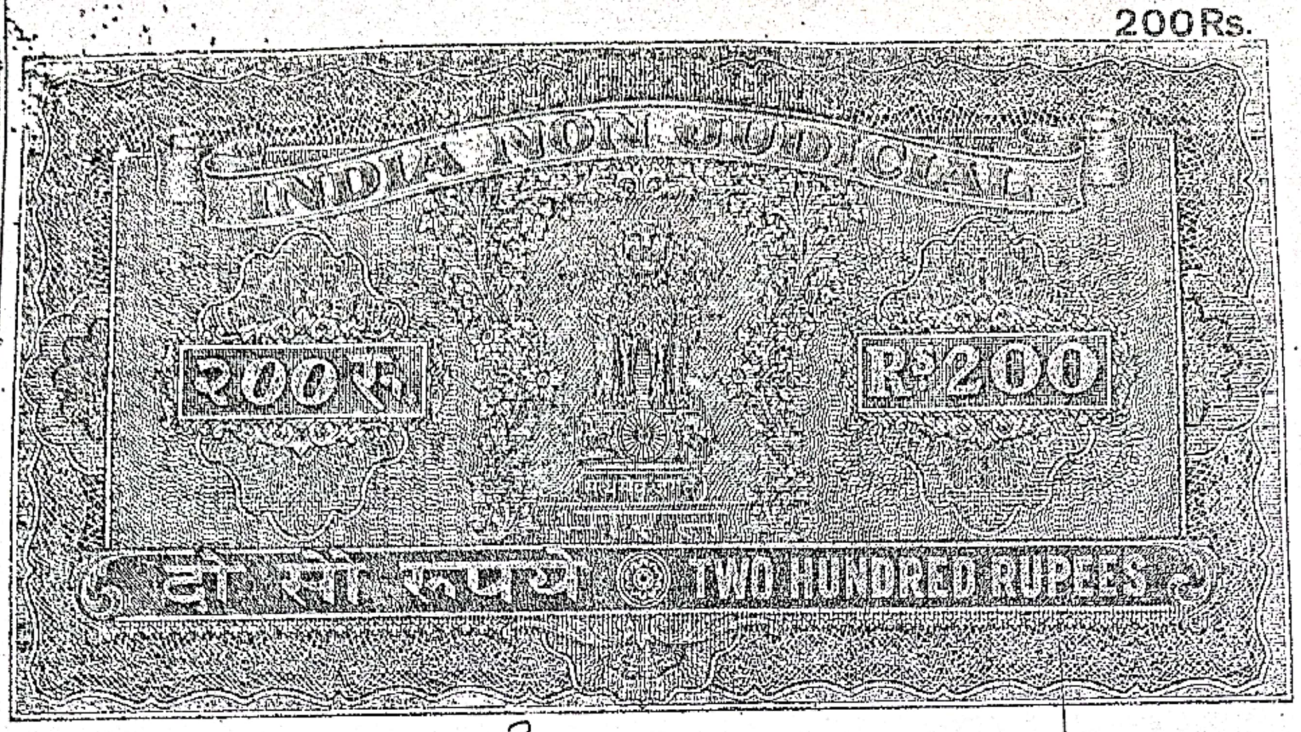

200Rs.

INDIA NON JUDICIAL

२०० रु. | Rs 200

दो सौ रुपये | TWO HUNDRED RUPEES

3

1) नापैदार एवं मकबूल विक्रय भूमि का — एक पलौक भूमि टांड जिसका क्षेत्रफल 2 एकड़ 40 डीसमील है और जिसकी सकल हमारे नक्शा में पलौट नं० 939/2 दर्शाया गया है जो अन्दर ग्राम बारालोटा (Barolota) थाना की निबन्धन कार्यालय डालटनगंज जिला पलामू में है। जो अन्य हैसियत ऐच्छिक आजादी अपना विक्रेता का खरीदगी और खास कब्जा दखल में है वही बिक्री किया।

नाम ग्राम — ग्राम बारालोटा Village Barolota } थाना नं० 928 थाना डाल्टनगंज — लोकेशन नं० 52/B — खेवट नं० 1 — खाता नं० 30 (तीन शब्दों में)

पलौट नम्बर — 939/2 असल तीन नम्बर (कुर्सी) } विक्रय भूमि — एक पलौट

ह० हरि प्रसाद चकले

ह० हरीराम उपाध्याय ग्राम प्र० अध्यक्ष
ग्रा० बारालोटा थाना डालटनगंज
मेरे सामने केवाला पढ़कर विक्रेता को
सुना समझा दिया गया वा० रवा०
ह० 14/2/86
दि० 18-2-95 ह०

50 Rs.

पचास रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

५० रु. FIFTY RUPEES 50RS

कडी के द्वारा विक्रय भूमी-
का नाप - इस प्रकार है-
उत्तर मे ६६० कडी दक्षिण मे ६२५ कडी
बिच मे उत्तर से दक्षिण ४९० कडी
है।

चौहद्दी - पुरब हैठवा नदी, पश्चिम बहर
उत्तर कुसुम्हर चमार दक्षिण
धोसीराम चन्द बढ़ास।

मालगुजारी - ० ६१ पैसा पुरा
जिसका रसदी विक्रय भूमी का
० ३० - पैसा -
खास मालीक - बिहार सरकार
अंचल कार्यालय डालटनगंज-

१) विवरण है की विक्रय करी-
विक्रेता की भूमी 3-... ९५-८१० प्लाट
नं० ९६९२/2 - ग्राम बारा लोटा मे विक्रय-
पत्र दिनांक -२४-३-७१ ईस्वी निबंधित
संख्या 3291 - जो डालटनगंज के
निबंधन कार्यालय के पुस्तक नं० 1-
जिल्द नं० ६४ - पृष्ठ नं० 449 से 448 मे
दिनांक २-२-७१ ईस्वी को निबंधित-

ग्राम बाहुबलीटा थाना इस्लामगंज से खरीद किया है जिसका अंश विक्रय भूमि इस विक्रय पत्र का है जिसपर खास कब्जा दखल है विक्रयकारी का नाम बिहार सरकार के अंचल कार्यालय में दाखिल खारिज होकर रसीद विक्रयकारी के नाम से खुलता है और रसीद मालगुजारी के अपने नाम से कटा रहा है इस तरह से विक्रयकारी का हकियत एवं कब्जा सरकार के द्वारा प्रमाणित हो चुका है, और उसपर किसी प्रकार का देन दारी अथवा कोई भार या किसी तरह का कोई विवाद किसी के साथ नहीं है और न अन्य कोई हकदार या हिस्सेदार अथवा दावीदार विक्रय भूमि के अन्दर नहीं है, सार उनके हर तरह से स्वाधीन बतौर पुस्तैनी विक्रय भूमि है। —

(2) विक्रय कारी ने अपनी खुशी रजा से समय विक्रय भूमि खरीदा था और अपना खरीदगी भूमि का विक्रय कब्जा दखल रसीद वगैरह का हकियत कागजात के संबंध में कागजात दिखाये हैं और हर तरह इतमिनान करने के बाद खरीद किया था और हर तरह से सही था। विक्रय कारी ने कहा कि हकियत की बाबत विक्रय भूमि का सही कागजात दिखाया और कहा विक्रयकारी के [illegible] उक्त भूमि को खरीद किये हैं इसके विरुद्ध [illegible] उसके लिये विक्रय कारी हर तरह से बाबत व जिम्मेवार तथा देनदार [illegible] की हानि के होंगे। —

3) विक्रय कारी ने अपनी नौकरी से रिटायर होने पर अपनी कमाई के रुपया से उक्त भूमि को खरीद किया है। —

विक्रय कारी एवं विक्रय कारी के लड़का का संयुक्त परिवार है जिसका कोई विक्रयकारी [illegible] उक्त भूमि संयुक्त परिवार का नहीं है

मैं डी० पुष्पराज यादव [illegible]
दा० मा० 15/12/86

4) लेख्यकारी को बैंक का कर्ज अदा करना है और भी अन्य कई जरूरतों का खर्च चलाना जिम्मेदारी है, इस लिए रुपयों का प्रबन्ध करना अति आवश्यक है।

5) उक्त विक्रय भूमि बिल्कुल कलर का किस्म भूमि है, फसल कभी भी ठीक नहीं पैदा होता है, बराबर उस भूमि की खेती में नुकसानी उठाना पड़ता और इसलिए उक्त नुकसानी से कर्ज का जिम्मेदारी बढ़ोत्तरी है, खेती के लायक अयोग्य है अतः लेख्यकारी ने उक्त भूमि को बिक्री का निश्चय किया। चूंकि क्रेता को कचहरी के लिए भूमि खरीद करना था अतः लेख्यकारी ने क्रेता से खरीद करने को कहा और क्रेता आमादा खरीद के हुए और उसका मूल्य काफी दिये, इस कदर मूल्य कोई भी देने को तैयार नहीं हुए, केवल क्रेता अपना कारोबार चलाने के गरज से इस कदर कीमत दिये हैं।

6) अतः लेख्यकारी अपनी राजी खुशी बिना किसी दबाव व प्रलोभन के सभी बातों को अच्छी तरह समझ बूझकर बिना किसी दबाव के अपनी इच्छा से उपरोक्त भूमि जिसका पूरा माविदह ऊपर के खाना नं० में लिखा गया है उसी का मो० 37000) (सैंतीस हजार) रुपया मूल्य पर उपरोक्त लेख्यधारी क्रेता श्री रामेश्वर प्रसाद सिंह का पूरा पता ऊपर के खाना में लिखा गया है उन्हीं के हाथ बिक्री किया और मूल्य मद्धे आगे मूल्य पेशगी बयाना के मो० 1500) (पन्द्रह सौ) रुपया क्रेता से ले लिया है और बाकी मूल्य मो० 35500) (पैंतीस हजार पांच सौ) रुपया विक्रय पत्र का रजिस्टर के समय क्रेता अदा करेंगे।

प्रस्तुतकर्ता
दि० 15/2/96

(१) भोग्यकारी ने, विक्रय भूमी का कुल हक-
हकूक अधिकार अथवा मय कब्जा के क्रेता
को हस्तान्तरित कर दिया, तथा अपने
नाम पर जो इस विक्रय भूमीपर कायम
थे कागजात दाखिल-खारिज एवं कब्जा दखल
मे आज से क्रेता को दे दिया, और इकरार
करते है कि अब विक्रय भूमी पर किसी
प्रकार का हक, दावा या कोई अधिकार
भोग्यकारी अथवा भोग्यकारी के कोई
उत्तराधिकारी वा स्थानापन्न को नही
रहा व न होगा, इस विक्रय पत्र का पाबन्दी
भोग्यकारी को समान्य भोग्यकारी के उत्तरा-
धिकारी व स्थानापन्न को भी होगी।–

(२) उक्त भूमी पर आज से ही सभी हक-
एवं अधिकार भोग्यकारी के समान उक्त
क्रेता को प्राप्त हो गया, अब क्रेता अपनी
इच्छा के मुताबिक उक्त भूमी का उपयोग
करे तथा काश्त करे एवं जिस तरह से चाहे
उसका प्रबन्ध करे, बीकरी कर रखना इत्यादि
जो चाहे बनावें व काम मे उपयोग लावें
और आम हर्ज उसका जो हो सभी भुग-
तान करें। क्रेता उक्त भूमी पर कायम
जो कागजात दाखिल है और नाम अथवा
दाखिल खारिज करा कर मालगुजारी
दिया करें तथा अपने नाम की रसीद माल
गुजारी रसीद प्राप्त करें। क्रेता के समान
उनके उत्तराधिकारी एवं स्थानापन्न को
उक्त सम्पत्ती मे सभी हक व अधिकार
प्राप्त होगा।–

(३) ऊपर मे लिखे मुताबिक मूल्य नकद
पाकर क्रेता को यह विक्रय पत्र लिखकर
करा दिया और हमे मिलेगा वह हस्तान्तर कर देंगे
जिसके द्वारा क्रेता विक्रय पत्र निबन्धित कर-

ह० [illegible] पुत्र [illegible] बा०
१५/२/८६

कार्यालय से निकाल कर अपने पास
कैला रख लेवेंगे।

10) लेख्यकारी का असल विक्रयपत्र-
दाखिल रजिस्टर करने के बाद इसी
प्रक्रिया में दफ्तर ... के लिये साथ साथ
साथ और कागजात बहुत सी आदि
सभी चीजें [illegible] इसलिये असल कागजात
पत्र -निबंधन कार्यालय से लौटा न
किया था - यही कैला को - असल रसीद
असली कागजात के साथ हवाले किया।

11) अत: लेख्यकारी उपरोक्त सभी
बातों को समझ कर विक्रयपत्र रजिस्-
टर के समय पर काम आवें।

ता० 14-(चउदह) फरवरी सन 1986
(उन्नीस सौ छियासी) इस्वी डालीराम

निर्णय का —
आदेश [illegible]
[illegible] को
उभयपक्ष को सुना दिया।

ह० [illegible]
14/2/86